


22/1/25

वकील पदकारान इफा वरुन विभाजन पुस्ताव  
वाकन की गई । अधि वक्ता इमयपदकारान  
इफा वरुनीलदाद चिडावा इफा उपर विभाजन  
पुस्ताव अनुसात वादी का वाद प्राथमिक  
डिक्री निचे जाने पर सहमति अक्त वादी का  
वाद उपर विभाजन पुस्ताव अनुसात अन्तिम  
डिक्री किया जाकर पुथक से रिकित कलवाया  
जाकर शागिल पथावली किया जावे पथावली  
फैलल शुमात इकात मम्बल से कात हे  
दाखिल वरुनर हो

  
सपखण्ड अधिकारी चिडावा  
जिला सुब्बान (राज)

डा. यशोवन्त  
से. न. ए. ए. ए.



3/2/25